



संदर्भ सं.राबै.पुनर्वित्त / 304 / ए-1 (जन) / 2020-21

परिपत्र सं. 218 /पुनर्वित्त- 73 /2020

10 अगस्त 2020

॥

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदय

मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने हेतु - वर्ष 2020-21 के लिए नीति

कृपया 24 जुलाई 2019 के हमारे परिपत्र सं. 226/पुनर्वित्त -61/2019 देखें जिसमें राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के तहत मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण हेतु पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंक) के लिए राज्य सहकारी बैंकों (रास बैंक) को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में नाबार्ड की वित्तीय वर्ष 2019-20 की नीति से अवगत कराया गया था. हम सूचित करते हैं कि हमने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) नीति को अंतिम रूप दे दिया है और विस्तृत नीति अनुबंध I में दी गई है.

2. राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष होगी, (भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो के अधीन) लेकिन इसके लिए शर्त यह होगी कि राज्य में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर प्रत्येक उधारकर्ता/किसान को 7% प्रति वर्ष या इससे कम दर से रु० 3 लाख तक का फ़सली ऋण दिया जाएगा. बैंक को अनुबंध II के अनुसार इस आशय का वचनपत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा. राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

Provision of Short-Term (ST) refinance by NABARD to State Cooperative Banks for financing Seasonal Agricultural Operations (SAO) - Policy for F. Y. 2020-21

Please refer to our Circular No.226 /DoR-61/2019 dated 24 July 2019 communicating NABARD's policy for F. Y. 2019-20 on provision of refinance under Sec. 21(1) of NABARD Act, 1981 to State Cooperative Banks (StCBs) in respect of eligible District Central Cooperative Banks (DCCBs) for financing Seasonal Agricultural Operations. We, now advise that the ST (SAO) Policy for F. Y. 2020-21 has been finalized and the details thereof are enumerated in the Annexure I.

2. The rate of interest on NABARD refinance to StCBs will be 4.5% p.a. (subject to change, if any, by Govt. of India), if the Short-Term Cooperative Credit structure in the State together with their own involvement provide crop loan up to Rs.3.00 lakh per borrower / farmer at 7% p.a. or less. The Bank is required to furnish an undertaking to this effect as per Annexure II. The StCB/DCCBs are also required to report

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

को केसीसी की मासिक प्रगति एन्श्योर पोर्टल पर रिपोर्ट करनी होगी.

3. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को उधारकर्ता सदस्यों को रुपये कार्ड जारी कर केसीसी योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दें.

4. वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्वित्त आबंटन के बारे में हमारा क्षेत्रीय कार्यालय आपके बैंक को अलग से सूचित करेगा. आप सभी पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 3 स्तरीय संरचना में, और राज्य सहकारी बैंक, 2 स्तरीय संरचना में, की ओर से पहले आहरण के साथ समग्र ऋण सीमा की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन कर सकते हैं.

5. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.

the monthly progress with regard to KCCs on the ENSURE portal.

3. Affiliated DCCBs may be advised to ensure implementation of KCC scheme by issuance of RuPay Card to the borrowing members.

4. Refinance allocation for your bank for F. Y. 2020-21 will be communicated to you separately by our Regional Office (RO). You may submit an application for sanction of consolidated credit limit on behalf of all the eligible DCCBs in a 3 tier structure and the StCB in case of a 2 tier structure along with the first drawal, in the prescribed proforma to NABARD RO.

5. Please acknowledge receipt of this circular to our Regional Office.

भवदीय

एल. आर. रामचंद्रन

(एल आर रामचंद्रन)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

अनुबंध Annexure I

मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का प्रावधान - वर्ष 2020-21

Provision of Short-Term refinance by NABARD to State Cooperative Banks for financing Seasonal Agricultural Operations - Policy for F. Y. 2020-21

1. अल्पावधि (मौकृप) सीमा Operative period of ST (SAO) limit

वर्ष 2020-21 के लिए अल्पावधि (मौकृप) सीमा की परिचालन अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 होगी. केवल परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋणों के लिए ही राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

The operative period of ST (SAO) limit for F. Y. 2020-21 is 01.04.2020 to 31.03.2021. ST (SAO) refinance will be provided to the StCB in respect of crop loans disbursed only during the operative period.

2. समेकित सीमा की मंजूरी Sanction of consolidated limit

(क) अल्पावधि (मौकृप) के तहत एक समेकित सीमा को मंजूरी दी जाएगी

- i. 3 स्तरीय संरचना में पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंक को.
- ii. 2 स्तरीय संरचना के मामले में या कमजोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जो कि PACS को वित्त करने की स्थिति में नहीं हैं) के मामले में योग्य राज्य सहकारी बैंक को.

a) A consolidated limit under ST (SAO) will be sanctioned to

- i. StCB on behalf of eligible DCCBs in 3 tier structure.
- ii. Eligible StCB in case of 2 tier structure or in case of weak DCCBs (which are not in a position to finance PACS).

(ख) राज्य सहकारी बैंकों को यह सीमा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(i) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक द्वारा निष्पादित मांग वचन पत्र के समक्ष मंजूर की जाएगी.

b) The limit will be sanctioned to StCB under **Sec. 21(1) (i)** read with **Sec. 21(4)** of the NABARD Act, 1981 against DPN executed by StCB

(ग) राज्य सहकारी बैंक प्रत्येक आहरण के समय लिखित में घोषणा करनी होगी कि प्रस्तुत आहरण और प्राप्त पुनर्वित्त अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत पात्र प्रयोजनों के वित्तपोषण हेतु पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (3 स्तरीय संरचना के मामले में) / राज्य सहकारी बैंक (2 स्तरीय संरचना के मामले में) को प्रदत्त ऋणों के समक्ष हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के समक्ष जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर बकाया पर्याप्त अनतिदेय ऋणों से रक्षित हैं.

c) StCB has to declare in writing, at the time of each drawal that the drawal preferred and the refinance already availed are against the loans provided by StCB to eligible DCCBs in 3 tier structure / StCB in 2 tier structure for financing SAO and are covered by adequate non-overdue loans outstanding at DCCB/StCB level against PACS. Banks are required to submit NODC statement to NABARD regularly either in physical form or through digitized platform.

(घ) तथापि, राज्य सहकारी बैंक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित मीयादी वचन-पत्र परांकित करना जारी रखेंगे और परांकित उन मीयादी वचन-पत्रों को नाबार्ड के एजेंट के रूप में अपने पास रखेंगे.

- d) TPNs executed by DCCBs in favour of StCB will continue to be endorsed in favour of NABARD and StCB will keep the endorsed TPNs with them as agent of NABARD.

3. राज्य सहकारी बैंकों / मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए पात्रता मानदंड Eligibility norms for StCB / CCBs

3.1 लेखापरीक्षा Audit

राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा पूरी हो जानी चाहिए और वित्तीय विवरणों सहित संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हो चुकी हो। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की लेखापरीक्षा 30 सितंबर 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए। 01 अक्टूबर 2020 को या इसके बाद उन्हीं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमा की स्वीकृति और आहरणों की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और जिन्होंने नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित लेखा-परीक्षा प्रस्तुत कर दी है।

Audit of StCB / DCCBs for the year 2018-19 should have been completed and the relative audit reports along with financial statements should have been received by the concerned Regional Office of NABARD. Further, the audit of State Cooperative Banks as on 31.03.2020 should be completed and the report submitted by 30.09.2020. Sanction and drawals on or after 01.10.2020 will be permitted only to such StCBs and against those DCCBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD.

3.2 लाइसेंसिंग और सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन Compliance with licensing and CRAR norms

सीआरएआर की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करनेवाले सभी लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंक (अनुसूचित / गैर अनुसूचित) और मध्यवर्ती सहकारी बैंक अल्पावधि (मौकूप) के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे।

All licensed StCBs (Scheduled / Non Scheduled) and licensed CCBs fulfilling CRAR conditions mentioned below will be eligible for refinance under ST (SAO).

3.3 अनुसूचित रास बैंकों और संबद्ध मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए सीमाएं Limits to scheduled StCBs and affiliated CCBs

3.3.1 केवल (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार) 9% और इससे अधिक सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक/ मध्यवर्ती सहकारी बैंक ऋण सीमा की स्वीकृति के लिए पात्र होंगे।

StCBs / DCCBs having CRAR of 9% and above only (as on 31.03.2019), will be eligible for sanction of credit limit.

3.3.2 यदि राज्य सहकारी बैंक का सीआरएआर 9% एवं अधिक है किन्तु किसी मध्यवर्ती सहकारी बैंक का सीआरएआर 9% से कम है तो राज्य सहकारी बैंक को ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिये कोई ऋण सीमा उपलब्ध नहीं होगी।

In case of StCBs with CRAR of 9% and above but individual CCBs with less than 9%, no credit limit will be available on behalf of such CCBs.

3.3.3 यदि राज्य सहकारी बैंक का सीआरएआर 9% से कम है किन्तु मध्यवर्ती सहकारी बैंक का सीआरएआर 9% और इससे अधिक है तो ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सरकारी गारंटी अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों /अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमा रसीदों की गिरवी के समक्ष सीधे ऋण सीमा मंजूर की जाएगी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीधे पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 0 2011 सितंबर 9के हमारे परिपत्र सं.172 द्वारा पहले ही जारी किए दिशानिर्देश लागू होंगे।

In case of StCBs with CRAR less than 9% and CCBs with CRAR of 9% and above, credit limit will be sanctioned directly to the CCBs against Government guarantee or against pledge of Govt. approved securities / FDRs of Scheduled Banks. In case of providing direct refinance to CCBs, guidelines issued vide our circular No. 172 dated 09.09.2011 may be followed.

3.4 गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के लिए सीमाएं Limits to non-scheduled StCBs

उपर्युक्त सीआरएआर मानदंडों को पूरा करने वाले गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 की धारा 21(3)(क) के अधीन सरकारी गारंटी अथवा उक्त अधिनियम की धारा 21(2)(i) के अधीन सरकारी/ अनुमोदित प्रतिभूतियों की गिरवी और /अथवा उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमा रसीदों की गिरवी के समक्ष ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए पात्र होंगे.

Non-scheduled StCBs which fulfill the CRAR criteria as stated above, will be eligible for sanction of credit limits against Government guarantee under Sec. 21(3)(a) of NABARD Act, 1981 or pledge of Govt. / approved securities under Sec. 21(2)(i) of Act ibid and / or pledge of FDRs of Scheduled Banks under Sec. 33 of Act ibid.

3.5 अनर्जक आस्ति मानदंड NPA norm

अन्य बातों के अलावा पुनर्वित्त के लिए पात्रता 31 मार्च 2019 की स्थिति को राज्य सहकारी बैंकों की शुद्ध एनपीए की स्थिति पर आधारित होगी. जिन बैंकों की शुद्ध अनर्जक आस्तियां शुद्ध ऋण और अग्रिम के 12% से अधिक नहीं हैं वे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. पूर्वोक्त क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए शिथिल के आर शुद्ध ऋण और अग्रिम के अधिकतम 15% तक की गई है.

The eligibility, among other things, will be based on the net NPA position of StCBs as on 31.03.2019. The Banks with Net NPAs not exceeding 12% of net loans and advances outstanding will be eligible for refinance. Net NPA criteria for StCBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands has been relaxed to 15% of net loans and advances outstanding.

3.5.1 01 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के दौरान पात्रता मानदंड 31 मार्च 2019 की लेखा-परीक्षित स्थिति या (31 मार्च 2020 की लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध हो तो) 31 मार्च 2020 के आधार पर होगी. 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए 31 मार्च 2020 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर होगी. 01 अक्टूबर 2020 को या इसके बाद उन्हीं राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमा की स्वीकृति और आहरणों की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और जिन्होंने नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित लेखा-परीक्षा प्रस्तुत कर दी है.

Eligibility criteria during 01 April 2020 to 30 September 2020 will be based on their audited financial position as on 31.03.2019 or 31.03.2020 (if audited position as on 31.03.2020 is available). From 01st October 2020 to 31st March 2021, eligibility criteria will be based on their audited financial position as on 31.03.2020. Sanction and Drawals on or after 01.10.2020 will be permitted only to such StCBs/DCCBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD.

3.5.2 सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित सीआरएआर और अनर्जक अस्ति (एनपीए) की स्थिति पात्रता के लिए आधार बनेगी. तथापि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में एनपीए की स्थिति में किसी अंतर के होने की स्थिति में, पात्रता का निर्धारण करने के लिए नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट को आधार माना जाएगा. बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से, बैंक पात्रता मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो नाबार्ड पर्याप्त सुरक्षा के साथ कम पात्रता मानदंडों पर विचार कर सकता है.

CRAR and NPA position as indicated in the statutory audit report will form the basis of eligibility. However, in the event of any variation between the audit report and NABARD's Statutory Inspection Report, the latter will be reckoned for determining the eligibility. In case of any reason beyond the control of the Bank, the bank is unable to fulfil the eligibility criteria, NABARD may consider a lower eligibility norm, with adequate comforts/ security.

3.5.3 राज्य सहकारी बैंक की पात्रता के प्रयोजन के लिए राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर शुद्ध एनपीए की गणना की जाएगी न की उनके शाखा स्तर पर. जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त प्रदान करने के संबंध में, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की निवल अर्जक आस्तियों की स्थिति को हिसाब में लिया जाएगा और न की उनकी शाखाओं के स्तर पर.

The net NPA position at StCB level and not at the level of StCB branches will be reckoned for the purpose of eligibility of StCB. In case of providing direct refinance to DCCBs, net NPA position at DCCB level and not at the level of DCCB branches will be reckoned for the purpose of eligibility.

4. पुनर्वित्त की मात्रा Quantum of refinance

4.1 पुनर्वित्त की सामान्य प्रमात्रा निम्नानुसार होगी The normal quantum of refinance will be as under:

रास बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ Net NPAs of StCB	पात्र सीमा Eligible limit [पात्र मस बैंकों/रास बैंक के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible CCBs/StCB]
Up to 6% तक	40%
Above 6% से अधिक और & up to 10% तक	35%
Above 10% से अधिक और & up to 12% तक	30%
Above 12% से अधिक	पात्र नहीं Not eligible

4.2 उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रास बैंक, रास बैंक, शुद्ध अनर्जक आस्तियों में छूट के साथ 20% के अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे

StCBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands, will be eligible for additional refinance of 20% with relaxation in net NPAs, as under:

रास बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ Net NPAs of StCB	पात्र सीमा Eligible limit [पात्र मस बैंकों/रास बैंक के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible CCBs/StCB]
Up to 10% तक	60%
Above 10% से अधिक और & up to 15% तक	55%
Above 15% से अधिक	पात्र नहीं Not eligible

4.3 पूर्वी क्षेत्र में अर्थात् बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जिले (भारत सरकार के बीजीआरईआई योजना के तहत) पुनर्वित्त के लिए लागू सामान्य प्रमात्रा से 5% अधिक अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

StCBs in Eastern Region viz. Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh States and 28 districts in Eastern Uttar Pradesh (under BGREI scheme of Govt. of India) will be eligible for additional refinance of 5% over and above the applicable normal quantum of refinance, as under:

रास बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ Net NPAs of StCB	पात्र सीमा Eligible limit [पात्र मस बैंकों/रास बैंक के वास्तविक ऋण कार्यक्रम के प्रतिशत के रूप में As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible CCBs/StCB]
Up to 6% तक	45%
Above 6% से अधिक और & up to 10% तक	40%
Above 10% से अधिक और & up to 15% तक	35%
Above 15% से अधिक	पात्र नहीं Not eligible

4.4 वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम की गणना पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित फसली ऋण में हुई औसत वृद्धि (पिछले चार वर्षों के दौरान वितरित फसली ऋण आंकड़ों को हिसाब में लेकर) के आधार पर की जा सकती है। तथापि नाबार्ड आधार स्तरीय वास्तविकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम को स्वीकार कर सकता है जो राज्य सहकारी बैंक द्वारा गणनाकृत वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम से कम या ज्यादा हो।

The RLP for the year 2020-21 may be arrived at, on the basis of average growth rate in crop loans disbursed during previous three years (taking into account the crop loans disbursed data for last four years). However, keeping in view the ground level realities and other facts, if any, NABARD may accept RLP which may be lower or higher than the RLP worked out by the StCB.

5. उप-सीमयों की मंजूरी Sanction of sub-limits

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 से अल्पावधि (मौकृप) ऋण सीमाओं के अंतर्गत (क) अन्य फसलों की खेती (ओसी), (ख) चयनित जिलों में तिलहन और ऑइल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी – तिलहन) (ग) चयनित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन (एनएफएसएम – दलहन) के अंतर्गत दालों की खेती, (घ) आदिवासी जनसंख्या विकास (डीटीपी) के अंतर्गत आदिवासियों की उत्पादन ऋण जरूरतों के लिए नाबार्ड द्वारा अलग से उप-सीमाएं मंजूर की जाएंगी।

तदनुसार रास बैंकों को मंजूर की गई समेकित ऋण सीमा को संबंधित उद्देश्यों के लिए मस बैंक-वार वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम के अनुसार मौकृप-ओसी, मौकृप-एनएम ओओपी, मौकृप-एनएफएसएम (दलहन) और मौकृप-डीटीपी उप-सीमाओं के रूप में बांटा जाएगा।

Separate sub-limits under ST (SAO) credit limits for financing will be sanctioned by NABARD for the year 2020-21 for the following : (a) cultivation of other crops (OC), (b) cultivation of oilseeds under National Mission on Oilseeds and Oil Palms (NMOOP - Oilseeds) in the identified districts, (c) cultivation of pulses under National Food Security Mission - Pulses (NFSM – Pulses) in the identified districts and (d) production credit requirements of tribals under Development of Tribal Population (DTP).

Accordingly, consolidated limit to be sanctioned to StCB will be segregated into sub-limits for SAO-OC, SAO-NMOOP, SAO-NFSM (Pulses) and SAO-DTP on the basis of CCB-wise Realistic Lending Program for respective purposes.

6. पुनर्वित्त पर ब्याज दर Rate of interest on Refinance

6.1 पुनर्वित्त पर ब्याज की दर वर्ष 2020-21 के दौरान 4.5% प्रति वर्ष होगी जो कि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी संशोधन के अधीन होगी. यह 01 अप्रैल 2020 और उसके बाद आहरित पुनर्वित्त पर लागू होगी. ब्याज 01 अक्टूबर और 01 अप्रैल को अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती योग्य होगा. **बैंक को अनुबंध के अनुसार वचनपत्र (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा.**

The rate of interest on refinance will be 4.5% p.a. during F. Y. 2020-21, subject to revision, if any, by Govt. of India. This will be applicable to refinance drawn 01.04.2020 onwards. Interest is payable at half-yearly rests on 01 October and 01 April, as hitherto. **The Bank is required to furnish undertaking as per the Annexure in this regard.**

6.2 रियायती पुनर्वित्त केवल उन राज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध होगा जो अपनी सहभागिता सहित राज्य के अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे द्वारा प्रति उधारकर्ता रु 3 लाख तक के फसली ऋण 7% प्रति वर्ष अथवा इससे कम पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सहमत होंगे.

The concessional refinance will be available only to those State Cooperative Banks which together with their own involvement, agree to ensure the provision of crop loans up to Rs. 3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less, by the short-term cooperative credit structure in the State.

7. परिचालन अनुशासन Operational discipline

7.1 आहरण और अदायगी Drawal and Repayment

ऋण सीमा पर किए गए आहरणों की चुकौती नाबार्ड की मांग पर करनी होगी. तथापि, इस ऋण सीमा के अंतर्गत प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और आहरण की तारीख से 12 महीने की अवधि में सामान्य रूप से देय होगा. 12 महीने की समाप्ति से पहले चुकौती (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) 15 कार्य दिवसों के न्यूनतम नोटिस के साथ या **मूलधन के साथ 15 दिनों के ब्याज भुगतान के साथ** स्वीकार की जा सकती है। हालाँकि, भुगतान की तारीख के 30 दिन बाद पुनर्भुगतान किए जाने की स्थिति में नोटिस की अवधि माफ की जा सकती है।

The amount drawn against the limit are repayable on demand. However, each drawal on the credit limit would be treated as a separate loan and would normally be repayable in a period of 12 months from the date of drawal. Repayments (partial or full) before the expiry of 12 months may be accepted by NABARD with minimum notice of 15 working days **or with interest payment of 15 days along with the principal.** The notice period may, however, be waived in case the repayment is made 30 days after the date of drawal.

7.2 अल्पावधि (मौकूफ) सीमा के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों / जिमस बैंकों द्वारा पुनर्वित्त का आहरण वित्तीय वर्ष में जारी ऋण के लिए निर्धारित प्रतिशत तक सीमित रहेगा.

Drawal of refinance by StCBs/DCCBs under ST (SAO) limit will be restricted to applicable percentage of refinance of the loan issued during the FY.

7.3 अनतिदेय कवर NODC

पूर्व की भांति स्वीकृत सीमा पर नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंक को पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, जिन पर रास बैंक के उधार बकाया है, के संबंध में समग्र अनतिदेय कवर (सभी उप-सीमाओं के तहत उपलब्ध) के आधार पर आहरण की अनुमति दी जाएगी। तथापि बैंकों को अनतिदेय कवर का अनुप्रवर्तन उप-सीमा वार करना होगा किन्तु किसी उप-सीमा में अनतिदेय कवर में कमी होने के मामले में, यदि समग्र रूप से अनतिदेय कवर उपलब्ध है, तो कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। **रास बैंकों को मस बैंक-वार स्थिति दर्शाते हुए मासिक रूप से अनतिदेय कवर विवरण आगामी माह की 20 तारीख तक या तो कागजी या फिर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भेजना होगा।**

Drawals on the sanctioned limit will be permitted by NABARD to StCB on the basis of aggregate NODC (available under all sub-limits) pertaining to the eligible CCBs, which have outstanding borrowings from StCB as hitherto. The banks are required to monitor NODC sub-limit wise, however in case of shortfall in NODC in any of the sub-limits, additional interest may not be charged if overall NODC is available. **The StCB will have to submit monthly NODC statement indicating CCB-wise position by 20th of the succeeding month** physically or through digital platform.

प्रत्येक आहरण के समय, आहरण की तारीख को समग्र एनओडीसी की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में बैंक को एक प्रमाणपत्र करना होगा। इसके अलावा, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दिन कुल अल्पावधि (मौकफ) बकाया और अतिरिक्त अल्पावधि (मौकफ) बकाया उस तारीख को उपलब्ध समग्र एनओडीसी से अधिक नहीं होना चाहिए।

At the time of each drawal, a certificate in the prescribed format, regarding the availability of aggregate NODC, as on the date of drawal will have to be furnished by the bank. Moreover, it may be ensured by the bank that on any day, total of normal ST (SAO) outstanding and the Additional ST (SAO) outstanding should not exceed the aggregate NODC available on that date.

7.4 अनतिदेय कवर में कमी पर अतिरिक्त ब्याज Additional interest on NODC deficit

अनतिदेय कवर में कमी होने के मामले में रास बैंक को अनतिदेय कवर की इस कमी को पूरा करना होगा। रास बैंक द्वारा इस कमी के होने के बाद कमी को एक माह के अंदर पूरा करने में असफल रहने पर अनतिदेय कवर की कमी पर, कमी की इस अवधि अर्थात् कमी की धनराशि को जिस तारीख को नियमित किया जाता है, तक 1% प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

In case of deficit in NODC, StCB will have to make good the deficit in NODC. In case the StCB fails to make good the deficit within one month from the date of occurrence of such deficit, additional interest @ 1% p.a. will be charged on the deficit in NODC for the duration of deficit i.e. till the date on which the amount of deficit is regularized.

7.5 बकाया ऋण में मूलधन और ब्याज को अलग-अलग रखना Segregation of principal and interest in the loans outstanding

रास बैंक बकाया राशि से ब्याज घटक (अतिदेय/गैर अतिदेय ब्याज) को अलग रख सकते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता की पात्रता के लिए ऋण सीमा के आवेदन और आहरण आवेदन, दोनों में ही मूल ऋण राशि को ही रिपोर्ट करें। इसी प्रकार मासिक एनओडीसी स्टेटमेंट में ऋण के केवल मूलधन के अंश को (जारी, वसूल, बकाया और अतिदेय) ही दर्शाया जाना चाहिए।

StCB may exclude the interest component (overdue/ non-overdue interest) from the outstanding amount and report the principal loan amount only, both in their applications for credit limit and drawal application, for arriving at the eligibility for refinance support from NABARD. Besides, only the principal portion of loans (issued, recovered, outstanding and overdues) should be reported in the monthly NODC statements.

7.6 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के प्रति चूक Defaults by DCCBs to StCB

यदि मध्यवर्ती सहकारी बैंक अल्पावधि (मौकूप) के तहत राज्य सहकारी बैंक के प्रति 3 माह से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से चूक में है, तो संबंधित रास बैंक को इस सीमा पर संबंधित मस बैंक के संबंध में जब तक चूक नियमित नहीं होता है, परिचालन की अनुमति नहीं होगी.

In case a DCCB is in default to the StCB under ST (SAO) continuously for a period exceeding 3 months, the StCB concerned will not be allowed to operate on the limit in respect of the DCCB concerned till the default is regularized.

7.7 चूक को दूर करना Clearance of default

जो रास बैंक मूलधन की चुकौती, ब्याज और/अथवा किसी अन्य बकाए की अदायगी निर्धारित तारीख तक करने में नाबार्ड के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में असफल रहते हैं, वे उस चूक के दूर होने तक नाबार्ड से किसी प्रकार की पुनर्वित्त सुविधा के लिए **पात्र नहीं** होंगे. मूलधन के पुनर्भुगतान और / या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, राज्य सहकारी बैंक डिफॉल्ट की राशि पर, उस अवधि जिसके लिए डिफॉल्ट बनी रहती है, नाबार्ड को 10% प्रति वर्ष ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. दंड ब्याज दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा.

StCBs which fail to honour their commitments to NABARD in repayment of principal, payment of interest and / or any other dues by the prescribed due dates, will **not** be eligible for any refinance facility from NABARD till the clearance of default in question. In the event of default in repayment of principal and /or payment of interest, the StCB will be liable to pay to NABARD interest on amount of default **at 10% p.a.** for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

7.8 निरीक्षण का अधिकार Right to inspection

बैंक (रास बैंक/पात्र मस बैंकों) की बहियों का निरीक्षण करने/ निरीक्षण करवाने का अधिकार नाबार्ड सुरक्षित रखता है.

NABARD reserves the right to inspect / get inspected the books of accounts of the bank (StCB / eligible DCCBs).

7.9 विशेष ऑडिट करने के लिए अधिकार Right to cause special audit

सहकारी बैंकों की लेखाबहियों और अन्य (पात्र मस बैंकों/रास बैंकों) संबंधित सामग्री की विशेष लेखापरीक्षा स्वयं करने अथवा किसी अर्जेंसी से कराने का नाबार्ड को अधिकार होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की यह लागू नियमों और अधिनियमों के अनुसार अनुरक्षित किया जाता है और पुनर्वित्त के नियमों एवं विधियों का बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है.

NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material of the Cooperative Banks (StCB / eligible DCCBs) either by itself or through other agencies to ensure that the same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

7.10 अतिरिक्त आहरण Excess drawal

फसल ऋण वितरण अथवा अनतिदेय कवर के संबंध में गलत आंकड़ें प्रस्तुत करने के आधार पर अनुमत सीमा से अधिक पुनर्वित्त का उपयोग करने के मामले को, बैंक द्वारा उपयोग किए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 1% प्रति वर्ष के दण्ड ब्याज के साथ तीन दिनों के भीतर वापस मंगा सकता है.

NABARD will take a serious view in case of avilment of drawals beyond permissible quantum of refinance on account of reporting of incorrect data about crop loan disbursement or of NODC by calling back the excess refinance availed by the bank within 3 days along with the penal interest of 1% pa.

8. अंतिम उपयोग की सीमा End-use of limit

निधियों में परिवर्तनों, ब्याज सहायता / फसल ऋण के दुरुपयोग को टालने तथा निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंको को सूचित 20 अगस्त 2015 के हमारे परिपत्र सं 175 /डीओआर-47/2015 में निर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी जाती है.

With a view to avoid diversion of funds, misutilization of interest subvention / crop loan and to ensure proper end use of funds for the purpose sanctioned, banks have been advised to follow the instructions contained in our Circular No. 175 / DoR-47 / 2015 dated 20 August 2015 which should be complied with.

अनुबंध Annexure II

राज्य सहकारी बैंक से उनके पत्रशीर्ष पर लिया जाने वाला वचन पत्र

UNDERTAKING TO BE OBTAINED FROM StCBs ON THEIR LETTERHEAD

मुख्य महाप्रबंधक The Chief General Manager

नाबार्ड NABARD

----- क्षेत्रीय कार्यालय Regional Office

----- .

प्रिय महोदय Dear Sir,

हमें ज्ञात है की नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 21-2020 के दौरान प्रदान किए जाने वाले पुनर्वित्त पर %4.5 की ब्याज दर में भारत सरकार समय पर संशोधन-नाबार्ड समय/भारतीय रिज़र्व बैंक/, यदि कोई हो, कर सकते हैं हमें . समय पर संशोधन किया जा सकता -यह भी ज्ञात है कि भारत सरकार से दी जाने वाली ब्याज सहायता में समय है .

We are aware that the rate of interest on refinance provided by NABARD for ST (SAO) during the F.Y. 2020-21 is 4.5% p.a. subject to change, if any, by Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time. We are also aware that the facility of interest subvention made available by Government of India, is also subject to change from time to time.

हम समय रिज़र्व /समय पर भारत सरकार-बैंकनाबार्ड द्वारा किए गए संशोधन /, यदि कोई हो, का पालन करेंगे .We undertake to abide by the change/s, if any, as may be made by the Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time.

भवदीय Thanking you,

Yours faithfully,

नाम Name: -----

पदनाम Designation: मुख्य कार्यपालक अधिकारी C.E.O. /प्रबंध निदेशक M.D. /महाप्रबंधक G.M.

दिनांक Date: -----